संपादक
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल
डॉ. मीना अग्रवाल

ISSN 0975-735X

शोध दिशा

62

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 62/2 अप्रैल-जून 2023 400.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय

हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ०प्र०)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा

डॉ० मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)

दिल्ली एन०सी०आर०

डॉ० अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ० मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ० शंकर क्षेम
डॉ० प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ० अशोककुमार
09557746346
डॉ० कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ० अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी०ए०

शुल्क

आजीवन (दस वर्ष): छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : एक हजार रुपए
यह प्रति : चार सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ०प्र०) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

अनुक्रम

उच्च शिक्षा में नव माध्यमों की भूमिका : एक अध्ययन/ **डॉ॰ अनिल कुमार** 20
इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन/ **श्रद्धा सिंह, प्रिया हलदर, गीतिका ब्रह्मभट्ट** 25
बाजार पोषित मीडिया के चंगुल में उलझी स्त्री/ **डॉ॰ प्रियंका सिंह** 31
लखनऊ से प्रकाशित हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों के चुनावी एजेंडे का अध्ययन (संदर्भ विशेष-लोकसभा चुनाव 2019)/ **लाल सिंह** 35
जिला कैमूर (बिहार) के शहरी एवं ग्रामीण अशासकीय माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की अधोसंरचना एवं शैक्षिक वातावरण का अध्ययन/ **रमेश कुमार राम, नीरा सिंह** 42
स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में नारी शिक्षा/ **डॉ॰ बन्सो नुरूटी, डॉ॰ पुरोहित कुमार सोरी** 45
डॉ॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम का उच्च विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में दृष्टिकोण/ **मीनाक्षी, डॉ॰ महेश कुमार गंगल** 49
वैदिककालीन एवं उत्तर वैदिककालीन भारतीय वैज्ञानिक खोजों की वैश्विक स्वीकार्यता/ **डॉ॰ मीनाक्षी द्विवेदी, अभिषेक कुमार** 54
डी॰एन॰ मजूमदार के कार्य में जाति और संचार कुछ अन्वेषण/ **आदित्य मिश्रा, प्रो॰ आशीष सक्सेना** 61
ढूंढाड़ क्षेत्र में आर्थिक पक्ष का अध्ययन/ **डॉ॰ वीणा छंगाणी, अम्बालाल चौधरी** 68
उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल्य तथा कौशल पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के प्रभाव का अध्ययन/ **डॉ॰ यशवंती गौड़, अंजली प्रजापति** 72
छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से पिछड़ी बिरहोर जनजातीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव/ **डॉ॰ के॰एन॰ दिनेश, अंकिता बरवा** 77
वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण/ **आशीष कुमार चौरसिया** 83
कोविड-19 महामारी और बदले शैक्षिक परिदृश्य/ **डॉ॰ अतुल कुमार** 89
ग्रामीण विकास योजनाएँ एवं प्रादेशिक विकास (भरतपुर जिले की वैर तहसील का एक भौगोलिक अध्ययन)/ **डॉ॰ सी॰एस॰ जैमन** 94
उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018 का विश्लेषणात्मक अध्ययन/ **देवेन्द्र सिंह, प्रो॰ एम॰एम॰ सेमवाल** 100

बुंदेलखंड: क्षेत्र एवं विशेषताएँ/ **धर्मेन्द्र सिंह** 106

दलित महिला पत्रकारों की यात्रा में डॉ॰ अंबेडकर की भूमिका/ **गीता** 112

श्री मदानंद वर्धनाचार्य विरचित ध्वनि सिद्धांत/ **प्रो॰ दीप्ति वाजपेयी, गुंजन** 118

जलवायु परिवर्तन एवं वर्तमान तथा प्राचीन भारतीय मानवीय जीवन शैली/ **डॉ॰ हरीश बहुगुणा** 123

भारतीय व्रतोत्सवों की लोककथाएँ और नारीवाद/ **डॉ॰ हेमलता काटे** 129

भारतीय गाँवों का आधुनिकीकरण/ **कविता शर्मा** 135

युगांतकारी संन्यासी स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान/ **डॉ॰ साक्षी मेहता, किरण देवल** 141

बीकानेर राज्य में नगरीकरण का विकास/ **डॉ॰ कुलवन्त सिंह शेखावत** 146

अनुसूचित जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा में समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण/ **राज कुमार सिंह गौर** 151

भारतीय संदर्भ में महिला कार्य का नारीवादी अवलोकन/ **रजनी** 156

अंत:सांस्कृतिक संप्रेषण तथा इनकी अंत:क्रिया का उनके व शिक्षा के मध्य अंतर्वैयक्तिक संबंध पर प्रभाव/ **कु॰ राखी, डॉ॰ विनीता सिंह गोपालकृष्णन** 162

कलचुरि कालीन बांधवगढ़ का कला-स्थापत्य/ **रमेश कुमार, प्रो॰ आलोक श्रोत्रिय, डॉ॰ शिवा कान्त त्रिपाठी** 168

जनजातीय कला एवं जनजातीय साहित्य/ **रीना कुमारी** 173

उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी की टोंस घाटी में पुरुषों के पारंपरिक परिधानों का अध्ययन/ **डॉ॰ मधु शर्मा, रेवती राणा** 179

यौगिक ग्रंथों में वर्णित मंत्रयोग एवं नादयोग मानव जीवन में उपयोगिता/ **रितु रानी, डॉ॰ केवलराम चक्रधारी** 182

जैनधर्म में अपरिग्रह का सामाजिक दर्शन/ **रोहित कुमार जैन** 188

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में उनके सतत व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता, प्रतिभाग दृष्टिकोण एवं सुझावों का अध्ययन/ **डॉ॰ सचिन कुमार, डॉ॰ मुनेश कुमार शर्मा** 197

एम॰पी॰ बोर्ड के माध्यमिक स्तर के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल का अध्ययन/ **संगीता तिवारी** 205

प्रदूषण निवारण में यज्ञों की उपादेयता/ **डॉ॰ दीप्ति वाजपेयी, कु॰ संजू नागर** 209

समावेशी शिक्षा का अध्ययन : सांस्कृतिक विविधता और विशेष शिक्षा के संदर्भ में/ **सरोज शुक्ला** 213

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव/ **सोनी कुमारी लोधी, डॉ॰ सत्या किशन** 221

सुभाषचंद्र बोस एवं उनका सैनिक राष्ट्रवाद/ **डॉ॰ सीमा पाल** 226

बाल अपराध : कारण एवं निवारण/ **शिखा कौशिक, कैप्टन डॉ॰ अंजुला राजवंशी, डॉ॰ गौरी** 231

ISSN 0975-735X

आधुनिक तकनीकी युग में वेब सीरीज एवं फिल्म का प्रदर्शन/
श्रीप्रकाश पाल, डॉ॰ मो॰ नवाज खान, शबनम शाहीन, सोनिया नेप्राम 238
भूजल दोहन एवं जल संकट : बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले का
समाजशास्त्रीय विश्लेषण/ **डॉ॰ लियाकत अली, सुभाष वर्मा** 243
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और युवा सशक्तीकरण/ **डॉ॰ सुमित्रा शर्मा** 247
भारतीय चित्रकला में गुफा, भित्ति चित्रण एवं मूर्तिकला/ **डॉ॰ सूरजपाल साहू** 255
राजस्थान की राजनीति में जाति की भूमिका/ **सुरेन्द्र कुमार जाट, डॉ॰ कर्मवीर सिंह** 263
प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्त्व एवं उसका सांस्कृतिक योगदान/ **डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह** 267
विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में शैक्षिक ई-संसाधनों की उपलब्धता एवं उपादेयता
का अध्ययन (भोपाल जिले के विशेष)/ **मिथिलेश, डॉ॰ एम॰ सुरेश बाबु** 272
भारतीय राजनीति एवं महिलाएँ/ **सुरेशचन्द गुप्ता** 279
मानवेंद्रनाथ राय के नव मानववाद की वर्तमान समय में प्रासंगिकता/ **सुशील दत्त** 284
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता/
राजीव कुमार, नरेन्द्र कुमार 287
चूरू जिले में कृषि क्षेत्र में नहर परियोजना के प्रभाव का
एक विश्लेषणात्मक अध्ययन/ **विकास कुमार, डॉ॰ महेश कुमार** 291
मनोवैज्ञानिक पूँजी का अध्ययन : शिक्षकों के संदर्भ में/
विनीता पंत, डॉ॰ भाग्यश्री जोशी 297
जम्मू कश्मीर राज्य के विभिन्न सोपान और अनुच्छेद 370/ **डॉ॰ योगेन्द्र कुमार धुर्वे** 303
महिलाओं को सशक्त करने में प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका/
नवीन कुमार पहाड़िया 310
राष्ट्र निर्माण हेतु महिलाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका/
डॉ॰ कृष्ण कुमार पाण्डेय, वीणा राठौड़ 317
लोक कथाओं में गाजियाबाद का इतिहास/ **डॉ॰ सुनीता सिरोही, आनंद कुमार** 322
अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास 'अपवित्र आख्यान' में यथार्थ वर्णन/
देवेन्द्र कुमार, डॉ॰ कृष्णा जून 328
स्त्री के अंतर्मन का आलोक/ **डॉ॰ श्रुति सुधा आर्या** 333
संविधान की पाँचवीं अनुसूची और जनजातीय स्वशासन :
मध्य प्रदेश के पेसा नियम, 2022 का आलोचनात्मक विश्लेषण/ **मोहन** 338
विकास का राजनीतिक समाजशास्त्र और हाशिए का समाज (गाँव भीतर गाँव)/
डॉ॰ बबली 344

जम्मू कश्मीर राज्य के विभिन्न सोपान और अनुच्छेद 370

डॉ॰ योगेन्द्र कुमार धुर्वे, सहा॰ प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय गुरुर (बालोद) छ॰ग॰

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले अँग्रेज-सिख युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अँग्रेजों के मध्य 1846 मे अमृतसर संधि हुई थी। राजा गुलाब सिंह ने अँग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख रियासत (बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह समेत) को खरीदते हुए उसे जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन था। इसके साथ ही गुलाबसिंह जम्मू कश्मीर रियासत के पहले राजा बने और उन्होंने डोगरा राजवंश की नींव डाली। 1846-1947 तक डोगरा वंश ने ही जम्मू कश्मीर रियासत पर शासन किया। रियासत ऐसे राज्य थे, जहाँ अँग्रेजों के अधीन राजा का शासन होता था। ब्रिटिश शासन के तहत सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की थी।[1] ब्रिटिश शासन काल में जम्मू कश्मीर राज्य एक देशी रियासत थी जिस पर राजा गुलाबसिंह के वंशज शासन कर रहे थे। 1947 में इस रियासत के राजा हरिसिंह थे।[2]

भारत पाकिस्तान की आजादी और कश्मीर विवाद का जन्म

भारत की आजादी करीब आने के साथ ही मुस्लिम लीग की 'टू नेशन थ्योरी' यानी भारत का दो देशों के रूप में बँटवारा लगभग तय हो गया था और यही हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र के रूप में आजाद हुए। उस समय भारत में 570 से ज्यादा रियासतें थीं। इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को यह निर्णय करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या फिर आजाद रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय लिया। हरिसिंह भारत और पाकिस्तान के साथ विलय के बजाय आजाद रहने के अधिक पक्षधर थे। विलियम नार्मन ब्राउन ने अपनी पुस्तक 'यूनाइटेड स्टेटस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान' में 15 अगस्त के बाद राजा हरिसिंह की अनिश्चिता की स्थिति को लेकर लिखा–'उन्हें भारत का हिस्सा बनना पसंद नहीं था, जहाँ लोकतंत्र लाया जा रहा था या पाकिस्तान, जो मुस्लिम देश था, उन्होंने आजाद रहने के बारे में सोचा था।' 12 अगस्त 1947 को हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विलय पत्र नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना अर्थात् जम्मू कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसे ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर को जवाब भेजा किंतु भारत ने इसे नामंजूर करते हुए राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया लेकिन कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। इस बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहमद अली जिन्ना ने अपने निजी सचिव खुर्शीद हसन को राजा हरिसिंह के पास कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए मनाने के लिए श्रीनगर भेजा। लेकिन स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करने के महज 12 दिन बाद अर्थात् 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने राजा को एक चेतावनी भरा पत्र

ISSN 0975-735X

भेजते हुए लिखा 'कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपने पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए, अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में विफल रहता है, तो सबसे गंभीर संकट निश्चित रूप से सामने आएगा।' इस चेतावनी ने राजा को चौकन्ना कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मध्य आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस समय 29 सितंबर 1947 को हरिसिंह दशकों से उनके विरोधी रहे और जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक शख्सियत शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। अब्दुल्ला मुस्लिम लीग और जिन्ना के रवैये से नाराज थे। रिहाई के बाद अबदुल्ला ने जिन्ना के कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के समर्थन की अपील को ठुकरा दी थी। शुरुआत में अब्दुल्ला कश्मीर के भारत के साथ विलय के पक्ष में थे, लेकिन जेल से रिहा होते ही उन्होंने कश्मीर की आजादी की माँग रख दी। कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। राजा हरिसिंह के साथ बिगड़ते संबंधों तथा जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोधी शेख अब्दुल्ला की रिहाई से पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा, फिर पाकिस्तान ने जबरन कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई।[3]

पाकिस्तानी कबायलियों का जम्मू कश्मीर पर हमला

पाकिस्तान ने 22 अक्तूबर 1947 को नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग प्रारंभ किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुँच गए। 22 अक्तूबर को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्तूबर तक उरी व बारामुल्ला उनके कब्जे में आ गए। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामुल्ला में जमकर हिंसा की, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बारामुल्ला में उस दौरान 11 हजार लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेखक जाहिद चौधरी ने अपने पुस्तक 'पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है कि तीन दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार किया और उनके घरों को लूटा और जला दिया। हजारों की संख्या में उनकी औरतों का रेप हुआ तथा उनका अपहरण किया गया। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद वे आगे बढ़े, जहाँ राजा हरिसिंह मौजूद थे। राजा ने प्रारंभ में पाकिस्तानी कबायलीयों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास हो गया कि अपनी सिमित सेना के बल पर कबायलियों को रोक पाना मुश्किल है । 24 अक्तूबर 1947 को राजा हरिसिंह ने भारत से सहायता माँगी। 25 अक्तूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत में विलय के बिना भारत को अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह व रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन तथा तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स सेक्रेटरी वी०पी० मेनन को कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और कहा कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए।[4]

जम्मू कश्मीर का भारत में विलय

भारत में जम्मू कश्मीर के विलय में 'द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' को कानूनी दस्तावेज माना जाता है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद राजा महाराजाओं के नियंत्रण वाले राज्य निर्णय ले रहे थे कि उन्हें किसके साथ में जाना है, उस समय जम्मू कश्मीर दुविधा में

था। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंडसस्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। स्टैंडसस्टिल एग्रीमेंट का अर्थ, 'जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेगा' था। राजा हरिसिंह ने यह निर्णय किया कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेगा, वह न भारत में विलय करेगा और न ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने के बाद भी इसका सम्मान नहीं किया और उसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया । पाकिस्तान में जबरन विलय किए जाने से बचने के लिए राजा हरिसिंह ने 26 अक्तूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, लेकिन उसे विशेष स्वायत्तता मिलेगी। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार माध्यमों को लेकर ही नियम बना सकती है।[5]

संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता

संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में 1 जनवरी 1949 को भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों राष्ट्रों के मध्य कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाईन ऑफ कंट्रोल (LOC) कहा गया। संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएँ अपनी मौजूदा स्तिथि से पीछे नहीं हटीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा बरकरार रखा, जिसे वह आजाद कश्मीर और भारत उसे पाक अधिकृत कश्मीर (POK) कहता है। 20 जून 1949 को राजा हरिसिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटा दिया गया, जिसके बाद वे बंबई चले गए थे। बबई जाने के बाद राजा हरिसिंह का जीवन लगभग गुमनामी में ही बीता। 26 अप्रैल 1961 को बंबई में उनका निधन हो गया । हरिसिंह के कश्मीर के विलय पर दुविधा को लेकर उनके बेटे और प्रसिद्ध नेता डॉ॰ कर्णसिंह ने अपनी आत्मकथा 'हेयर एपेरेंट' में लिखा है-उस समय भारत में चार प्रमुख शक्तियाँ थीं और मेरे पिता के संबंध उन सबसे दुश्मनी भरे थे । एक तरफ अँग्रेज थे, लेकिन मेरे पिता देशभक्त थे इसलिए अँग्रेजों से गुप्त सौदेबाजी नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर काँग्रेस थी जिसके मेरे पिता से दुश्मनी की प्रमुख वजह नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी। फिर जिन्ना की अगुआई वाली इंडियन मुस्लिम लीग थी लेकिन मेरे पिता हिंदू थे लीग के एग्रेसिव मुस्लिम सांप्रदायिक रुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शेख अब्दुल्ला की अगुआई वाली नेशनल कांफ्रेंस थी, जिससे मेरे पिता के रिश्ते दशकों से दुश्मनी भरे थे, क्योंकि वह उन्हें अपनी सत्ता और डोगरा शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे अंत में जब फैसले की घड़ी आई तो ये सभी प्रभावशाली ताकतें उनके विरोध में खड़ी थीं।[6]

जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अधीन जम्मू कश्मीर राज्य की अनोखी स्थिति रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। यह संविधान की संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वाँ राज्य है। मूल संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 1(3) में भाग ख (पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र) राज्य विनिर्दिष्ट किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 'भाग ख' राज्यों के प्रवर्ग का समापन कर दिया गया साथ ही संविधान (7वाँ संसोधन) अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत संघ की राज्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। विदित है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था जिससे भारत के संविधान के सभी उपबंध, जो पहली अनुसूची के

ISSN 0975-735X

राज्यों से संबंधित है, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, यद्यपि वह उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यों में से एक है किंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है, अत: उस पर वे सभी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं।[7]

अनुच्छेद 306(A) से बनी थी 370

जब पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था उसके तुरंत बाद कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भारत में विलय की माँग रखी थी। उस समय भारत के सामने परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि संवैधानिक प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर का विलय नहीं किया जा सकता था और उसी समय संविधान सभा के सदस्य गोपाल स्वामी आयंगर ने अनुच्छेद 306(A) पेश किया था, जो बाद में जाकर अनुच्छेद 370 बना और इसी के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ जो भारतीय संघ के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया।[8]

अनुच्छेद 370 का उदय तथा प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्ता दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह जब जम्मू कश्मीर का विलय भारतीय गणराज्य में कर रहे थे उस समय उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। अनुच्छेद 370 इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 370 को अस्थाई तौर पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य यह था कि कश्मीरियों की अलग पहचान को बरकरार रखा जा सके। इसके तहत केवल रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों में ही भारत सरकार दखल दे सकती थी। 9 अक्तूबर 1949 में अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो पता था। जिसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, इसके अतिरिक्त यहाँ अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) लागू नहीं हो पता था।[10]

अनुच्छेद 35(A)

अनुच्छेद 35(A) जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप मे एक विशेष अधिकार देता था। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेंद्रप्रसाद द्वारा पारित एक आदेश के तहत भारत के संविधान में एक नए संविधान में एक नए अनुच्छेद के रूप में 35(A) को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35(A) जम्मू कश्मीर विधान सभा को राज्य के 'स्थाई निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे तथा अस्थाई निवासी को उन अधिकारों से वंचित किया गया था जो निम्नांकित हैं–

* अस्थाई नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो स्थाई रूप से बस सकते थे और न ही वहाँ संपत्ति खरीद सकते थे।
* अस्थाई नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो सरकारी नौकरी पा सकते थे और न ही छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते थे।
* भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं बन सकता था और उसे मताधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकता था।

ISSN 0975-735X

* यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के अन्य राज्य के लड़के से विवाह कर लेती तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते, इसके अतिरिक्त उसके बच्चों के अधिकार भी समाप्त हो जाते थे।[11]

स्थाई नागरिकता

1956 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था जो 26 जनवरी 1957 से लागू था इसमें स्थाई नागरिकता की परिभाषा निर्धारित की गई जिसके अनुसार (1) जम्मू कश्मीर का स्थाई नागरिक उस व्यक्ति को माना जाता था जो 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर का नागरिक रहा हो और कानूनी तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण किया हो। (2) कोई व्यक्ति 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो या 1 मार्च 1947 के पश्चात जम्मू कश्मीर से प्रवास कर (वर्तमान के पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में) चला गया हो किंतु जम्मू कश्मीर में वापस पुनर्निवास अनुमति (परमिट) के साथ आया हो उसे जम्मू कश्मीर का स्थाई नागरिक माना जाता था। जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने सबसे पहले वर्ष 1927 में अनुच्छेद 35(A) को पारित किया था तथा इस कानून को लागू करने का एक मात्र उद्देश्य उत्तरी राज्य पंजाब से जम्मू कश्मीर मे आ रही लोगों की भीड़ को रोकना था, जिससे कि जम्मू कश्मीर पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव को नियंत्रित किया जा सके।[12]

जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का निर्माण

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत सितंबर-अक्तूबर 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का निर्वाचन, राज्य के भविष्य के संविधान को तैयार करने हेतु तथा भारतीय संघ के साथ संबंध बनाने हेतु राज्य नागरिकों द्वारा हुआ। यह संप्रभु निकाय पहली बार 31 अक्टूबर 1951 को मिला, जिसने अपने इस कार्य को करने हेतु लगभग 5 वर्ष का समय लिया और जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया। जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अखंड राज्य है।[13] जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें 13 खंड, 158 अनुच्छेद तथा 6 अनुसूचियाँ थीं। इसके भाग 2, खंड 3 के अनुसार, 'जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अखंड भाग है और रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। 1966 में जम्मू कश्मीर के संविधान में एक संशोधन करके सदर ए रियासत के पदनाम को परिवर्तित करके राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के पदनाम को मुख्यमंत्री कर दिया गया। भारत के संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा भारत के राज्यों के 'क'-'ख' आदि के भेद को समाप्त करके सभी राज्यों को एक ही प्रकार के राज्य बना दिए गए। इस समय भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस कारण संविधान के अनुच्छेद 370 को उस समय आसानी से हटाया जा सकता था किंतु ऐसा नहीं किया गया और जम्मू कश्मीर के राज्य को उसका संविधान जारी रखने की स्वीकृति दी गई। इस संविधान को 26 जनवरी 1957 से लागू किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान अलग पहचान तथा अलग ध्वज रहा है।[14]

जम्मू कश्मीर की संविधान निर्मात्री सभा के मुख्य कार्य

जम्मू कश्मीर की संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा दो महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए जो इस प्रकार हैं– (1) राजा के उत्तराधिकारी शासन का अंत किया और उसके स्थान पर निर्वाचित अध्यक्ष सदर ए रियासत की व्यवस्था की, बाद में इस पद को राज्यपाल के पद में परिवर्तित कर दिया गया।

ISSN 0975-735X

अभिगमन की संधि की शर्तों के अनुसार, राजा ने अखिल भारतीय जम्मू कश्मीर कांफ्रेंस के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करने के बाद लोकप्रिय अंतरिम सरकार को लागू किया। आगे चलकर अंतरिम सरकार पूर्णरूपेण मंत्रिमंडल में परिवर्तित हो गई और शेख अब्दुल्ला इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने लेकिन शेख अब्दुल्ला इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि राजा हरिसिंह त्यागपत्र दें क्योंकि अभिगमन संधि के अंतर्गत भारत सरकार की शर्त उत्तराधिकारी पद को समाप्त करने की थी। जून 1949 में राजा ने अपने नौजवान पुत्र युवराज कर्ण सिंह के पक्ष में अपने पद का परित्याग कर दिया। संविधान निर्मात्री सभा ने 3 अक्टूबर 1951 को युवराज का सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचिन कर दिया किंतु 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान मे 6वें संशोधन द्वारा सदर ए रियासत के पद को समाप्त कर दिया गया। (2) संविधान निर्मात्री सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण किया। जम्मू कश्मीर के लिए संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक मसौदे को 17 नवंबर 1957 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1958 से इसे लागू कर दिया गया।[15]

जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति व परिसीमन

जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, किंतु 5 अगस्त को इस राज्य की प्रशासनिक संरचना को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35(A) के सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख दो नए संघ शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आ गए। राज्यसभा द्वारा 5 अगस्त और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया गया तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया। यह जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन तथा उससे जुड़े मामलों के उपचार के लिए बनाया गया अधिनियम है, इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है–(1) लद्दाख को जम्मू कश्मीर से पृथक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। (2) जम्मू कश्मीर को भी संघ शासित प्रदेश बनाया गया। (3) जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया। (4) इन संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को दिया गया है।[16]

परिसीमन–भारत सरकार ने 6 जुलाई 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019' के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग को कार्य करने की मंजूरी प्रदान की–

* भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिसीमन हेतु परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
* सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
* मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा तथा जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के०के० शर्मा इस आयोग के अन्य सदस्य हैं।
* परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 मे किया गया था, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का था।

* 6 मार्च 2021 को जारी की गई अधिसूचना में इस आयोग का कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया।[17]

निष्कर्षतः राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए यह आवश्यक था कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए जाने की ओर अग्रसर होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की परिधि से बाहर कर भारतीय संघ के अन्य राज्यों की भाँति समान अंग बनाया जाना था। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू का मत था 'वर्तमान में इस पर बहस प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, किंतु इसे राजनीतिकरण से पृथक कर स्वस्थ्य मन से विचारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की अस्मिता, एकता एवं अखंडता का अहम बिंदु है।'

संदर्भ

1. भास्कर एक्स प्लेनर (Online) अभिषेक पांडेय के लेख से, 26.10.2022
2. डॉ० जे०पी० नेमा, डॉ० राजेश जैन एवं डॉ० हरीशचंद्र शर्मा, भारत में राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो जयपुर, 2017, पृ० 387
3. भास्कर एक्स प्लेनर (Online) अभिषेक पांडेय के लेख से, 26.10.2022
4. भास्कर एक्स प्लेनर (Online) अभिषेक पांडेय के लेख से, 26.10.2022
5. अरिहंत समसामयिकी महासागर (मासिक पत्रिका), मई 2019, पृ० 64
6. भास्कर एक्स प्लेनर (Online) अभिषेक पांडेय के लेख से, 26.10.2022
7. www.dhyeyaias.com
8. अरिहंत समसामयिकी महासागर (मासिक पत्रिका), मई 2019, पृ० 65
9. वही, पृ० 6
10. वही, अक्टूबर 2019, पृ० 10
11. वही, पृ० 10
12. वही, पृ० 10
13. डॉ० जे०पी० नेमा, डॉ० राजेश जैन एवं डॉ० हरीशचंद्र शर्मा, भारत मे राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो जयपुर, 2017, पृ० 388
14. अरिहंत समसामयिकी महासागर (मासिक पत्रिका), अक्टूबर 2019, पृ० 11
15. प्रो० एस०के० चौबे, भारत में संघवाद, गीता ऑफसेट प्रिंटर्स, सी 90, ओखला फेस, नई दिल्ली 110020, अप्रैल 2004, पृ० 20
16. अरिहंत समसामयिकी महासागर (मासिक पत्रिका), अक्टूबर 2021, पृ० 29
17. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक पत्रिका), नवंबर 2021, पृ० 77